[2018] 11 एस.सी.आर. 664

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

नानू राम उर्फ चुहरू राम एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 9581/2018)

सितम्बर 18, 2018

[आर. एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, *1988* – विभिन्न मदों के तहत मुआवजा – एक दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो गई जब उसके द्वारा संचालित मोटर साइकिल को प्रतिवादी नंबर *3* द्वारा संचालित कार ने टक्कर मार दी – एमएसीटी ने *7%* ब्याज के साथ *3,39,208/–* रुपये दिए। प्रतिवादी संख्या *1* और *2* को मुआवजा, मृतक के पिता और बहन – उच्च न्यायालय ने रु. *14,21,000/– 9%* की दर से ब्याज के साथ – अपीलकर्ता –बीमा कंपनी द्वारा चुनौती – अभिनिर्धारित किया गया*:* मृतक की आय *6,000/–* रुपये प्रति माह होने के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही है –उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या *1* और *2* पर सही विचार किया। जिनको मृतक के आश्रित होने के लिए, और मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए *1/3* की कटौती की गई – इस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई – प्रेम और स्नेह की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि भी बनाए रखी – हालाँकि, चूंकि दुर्घटना के समय मृतक *24* वर्ष का था, इसलिए, प्रणय सेठी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, भविष्य की संभावनाओं को *50%* के बजाय मृतक की वास्तविक आय का *40%* दिया जाता है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया – इसके अलावा, प्रणय सेठी मामले में निर्णय के मद्देनजर, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए *25,000/–* रुपये का मुआवजा घटाकर *15,000/–* रुपये कर दिया गया, हालांकि न तो एमएसीटी और न ही उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को कोई मुआवजा दिया। *1* और *2* को "संपत्ति की हानि" के तहत, धारा *142* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और न्याय के हित में, इस मद के तहत *15,000/–* रुपये का पंचाट दिया गया – इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या *1* और *2* को भी *40,000/–* रुपये का पंचाट दिया गया। – 'फ़िलियल कंसोर्टियम" के नुकसान के लिए प्रत्येक – प्रतिवादी संख्या *1* और *2, 12%* प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ *14,25,600/–* रुपये के कुल मुआवजे के हकदार हैं – अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या। *3* मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग –अलग उत्तरदायी हैं – भारत का संविधान – अनुच्छेद *142*। –

मोटर वाहन अधिनियम*, 1988* – लाभकारी कानून – उद्देश्य – चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश – "संघ" – का अर्थ – चर्चा की गई। कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1 भविष्य की संभावनाओं के मुद्दे के संबंध में, प्रणय सेठी मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि यदि मृतक स्व–रोज़गार था या एक निश्चित वेतन पर था, और 40 वर्ष से कम उम्र का था, तो 40% की अतिरिक्त स्थापित आय का भविष्य की संभावनाओं के लिए दिया जाना चाहिए। भविष्य की संभावनाओं को निम्नलिखित के आधार पर सम्मानित किया जाना है: (i) मृतक के रोजगार की प्रकृति; और (ii) मृतक की उम्र। एमएसीटी के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के आधार पर मृतक की आय का आकलन किया। उसके रोजगार की प्रकृति एक स्व–रोज़गार व्यक्ति के रूप में ली जा रही है। उच्च न्यायालय ने उनकी आय 6,000 रुपये मानी, जो एक अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन 5,342 रुपये से थोड़ा अधिक है। इस खोज में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 24 वर्ष थी। इसलिए, भविष्य की संभावनाओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 50% के बजाय मृतक की वास्तविक आय का 40% दिया जाना चाहिए था। इसलिए, इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का निर्णय उस सीमा तक संशोधित किया जाता है। [पैरा 8.1 और 8.3] [671–एफ–एच; 672–बी–सी, जी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680 का पालन किया गया। –

1.2 मृतक कुंवारा था, जिसकी मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। मृतक अपने पिता, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, और प्रतिवादी संख्या 2– एक अविवाहित बहन के साथ एक गाँव में रह रहा था। मृतक अपनी अल्प आय का एक हिस्सा परिवार के भरण–पोषण और अस्तित्व के लिए योगदान कर रहा था। इसलिए, वे उसके आश्रितों के रूप में मुआवजे के हकदार होंगे। उच्च न्यायालय ने उन्हें सही ढंग से मृतक का आश्रित माना, और मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की। इसलिए, इस संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य है। [पैरा 8.2, 8.4] [673–बी; 672–एफ]

1.3 प्रणय सेठी मामले में फैसले के अनुसार अंतिम संस्कार का खर्च 25,000 रुपये का मुआवजा घटकर 15,000 रुपये हो गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्यार और स्नेह की हानि के सापेक्ष राशि बनी हुई है। [पैरा 8.5] [673–सी, एफ–जी]

1.4 एमएसीटी के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने कंसोर्टियम के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के संबंध में कोई मुआवजा नहीं दिया, जो अन्य पारंपरिक शीर्षक हैं जिसके तहत मृत्यु की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है,

जैसा कि प्रणय सेठी मामले में मान्यता प्राप्त है। मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी एवं कल्याणकारी कानून है। न्यायालय कर्तव्यबद्ध है और "उचित मुआवजा" देने का हकदार है, भले ही दावेदार ने इस संबंध में कोई याचिका दायर की हो या नही। अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, और न्याय के हित में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये की राशि का पंचाट देना उचित समझा जाता है। [पैरा 8.6] [673–जी–एच; 674–ए–बी]

1.5 कानूनी भाषा में, "संघ" एक सारगर्भित शब्द है जिसमें 'पति–पत्नी संघ', 'अभिभावक संघ' और 'फ़िलियल संघ' शामिल हैं। कंसोर्टियम के अधिकार में मृतक की कंपनी, देखभाल, मदद, आराम, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जो उसके परिवार के लिए एक क्षति है। जीवनसाथी के संबंध में, इसमें मृत जीवनसाथी के साथ यौन संबंध शामिल होंगे। स्पाउसल कंसोर्टियम को आम तौर पर पति–पत्नी के रिश्ते से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवित पति या पत्नी को "कंपनी, समाज, सहयोग, स्नेह और प्रत्येक वैवाहिक संबंध में दूसरे की सहायता" के नुकसान के लिए मुआवजे की अनुमति देता है। माता–पिता की असामयिक मृत्यु पर, "माता–पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण" के नुकसान के लिए माता–पिता का संघ बच्चे को दिया जाता है। फ़िलियल कंसोर्टियम किसी बच्चे की आकस्मिक मृत्यु के मामले में मुआवजे का माता–पिता का अधिकार है। कंसोर्टियम एक विशेष प्रिज्म है जो वास्तविक रिश्तों की स्थिति और मूल्य के बारे में बदलते मानदंडों को दर्शाता है। दुनिया भर के आधुनिक न्यायक्षेत्रों ने माना है कि एक बच्चे के संघ का मूल्य किसी बच्चे की मृत्यु के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है। इसलिए अधिकांश क्षेत्रधिकार माता–पिता को बच्चे की मृत्यु पर कंसोर्टियम के नुकसान के तहत मुआवजा देने की अनुमति देते हैं। माता–पिता को दी जाने वाली राशि मृत बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साथ के नुकसान का मुआवजा है। मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य वास्तविक दावों के मामलों में पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करना है। कंसोर्टियम के मुआवजे की राशि के रूप में प्रणय सेठी मामले में निर्धारित 'कन्सोर्टियम के नुकसान' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा शासित होगा। वर्तमान मामले में, मृतक के पिता और बहन को फ़िलियल कंसोर्टियम के प्रत्येक नुकसान के लिए 40,000 रुपये की राशि का पंचाट देना उचित समझा जाता है। [पैरा 8.7] [674–सी–जी; 675–ए–बी]

1.6 प्रतिवादी संख्या 1 और 2, 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 14,25,600/– रुपये के मुआवजे के हकदार हैं जो दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक होगा। प्रदान की गई राशि में से, प्रतिवादी नंबर 1 60% का हकदार है, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 को ब्याज सहित 40% दिया जाएगा। अपीलकर्ता–बीमा कंपनी और प्रतिवादी नंबर 3 को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी ठहराया जाता है। बीमा कंपनी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को दिए गए मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करेगी और प्रतिवादी संख्या 3 से 50% राशि वसूल कर सकती है। [पैरा 9, 10] [675––ई; 676–डी–एफ]

राजेश एवं अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य। (2013) 9 एससीसी 54: [2013] 5 एससीआर 961; जगमाला राम @ जगमाल सिंह और अन्य बनाम सोही राम एवं अन्य 2017 (4) आरएलडब्ल्यू 3368 (राजस्थान); श्रीमती रीता राणा एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार एवं 6 अन्य। 2014 (3) यूसी 1687; लक्ष्मण और अन्य बनाम सुशीला चंद चौधरी एवं अन्य (1996) 3 कांत एलजे 570 (डीबी) का उल्लेख है।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (5वां संस्करण 1979) का उल्लेख है। –

केस कानून संदर्भ

(2017) 16 एससीसी 680 के पैरा 1 का पालन किया गया।

[2013] 5 एससीआर 961 के पैरा 8.7 को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9581/2018

2015 के एफएओ संख्या 6943 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.09.2017 से उत्पन्न।

सुश्री शांता देवी रमन, गर्वेश काबरा, विकास वर्मा, कौशल यादव, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का फैसला इंदु मल्होत्रा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह विशेष अनुमति याचिका बीमा कंपनी द्वारा एफएओ संख्या 6943/2015 दिनांक 27.09.2017 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में दिए गए मुआवजे को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स, संक्षेप में बताया गया है, इस प्रकार है:

दिनांक 01.12.2013 को मृतक अपनी मोटरसाइकिल (पंजीकरण संख्या HR-71B-7681) पर सवार होकर अम्बली गांव से अर्जुन माजरा गांव जा रहा था। मृतक के एक रिश्तेदार-श्री. साढौरा-नारायणगढ़ रोड पर राकेश कुमार अलग मोटरसाइकिल पर उसका पीछा कर रहा था। प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा संचालित एक रेनॉल्ट कार,

पंजीकरण संख्या HR-02-AB-4646, बगल से आई, और मृतक द्वारा संचालित मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना श्री राकेश कुमार ने देखी।

दुर्घटना के परिणामस्वरूप, मृतक गिर गया और उसे कई चोटें आईं। उन्हें नारायणगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई, चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 02.12.2013 को पीड़ित को सरकारी अस्पताल, पंचकुला ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उसी दिन एफ.आई.आर. दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्री राकेश कुमार के बयान पर पुलिस स्टेशन, नारायणगढ़ में नंबर 337 दर्ज किया गया था।

3. मृतक के पिता, भाई और बहन ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, यमुनानगर ("इसके बाद एमएसीटी के रूप में संदर्भित") के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की और दुर्घटना की तारीख से वसूली की तारीख तक ब्याज सहित 50,00,000 रुपये के मुआवजे की प्रार्थना की।

श्री राकेश कुमार, प्रत्यक्षदर्शी की एमएसीटी के समक्ष जांच की गई। उन्होंने गवाही दी कि दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 3 की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।

एमएसीटी ने रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 3 की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।

मृतक की उम्र 24 साल थी और वह नमकीन उत्पाद बनाने का कारोबार करता था। दावेदारों ने तर्क दिया कि मृतक की आय रु. 15,000 प्रति माह थी, हालाँकि, वे मृतक की आय का सबूत पेश करने में असमर्थ रहे। एमएसीटी ने मृतक की आय को एक अकुशल श्रमिक की आय यानी रु.5,342 रुपये प्रति माह माना। श्रम आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.08.2013 के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के काम के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते हुए एमएसीटी ने मृतक के परिवार को निम्नानुसार मुआवजा दिया:

शीर्षक——प्रदान किया गया मुआवजा

I)आय: रु.5,342 रुपये प्रति माह
II) व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती: रु. 1780 (आय का ⅓)
iii.) गुणक:7 (पिता की उम्र के अनुसार)
iv.)भविष्य की आय की हानि: रु. 2,99,208
[अर्थात। (5432-1780) x 12x7]

v.)प्यार और स्नेह की हानि: रु. 25,000

vi.) अंतिम संस्कार का ख़र्च: रु. 15,000

दिया गया कुल मुआवजा:– दावे की तारीख से वसूली और लागत तक 7% ब्याज के साथ 3,39,208 रु.

एमएसीटी ने मृतक के भाई को कोई मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि उसे आश्रित नहीं माना जा सकता था। मृतक के वृद्ध पिता और अविवाहित बहन को मुआवजा दिया गया, जिन्हें आश्रित माना गया।

बीमा कंपनी और वाहन के चालक–प्रतिवादी नंबर 3 दोनों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी ठहराया गया था।

4. प्रतिवादी संख्या 1 और 2–अर्थात मृतक के पिता और बहन ने मुआवजे को बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एमएसीटी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

उच्च न्यायालय ने माना कि दुर्घटना से संबंधित तथ्यों को एमएसीटी के समक्ष स्वीकार किया गया और साबित किया गया। यह स्थापित किया गया कि मृतक की मृत्यु प्रतिवादी नंबर 3 की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के परिणामस्वरूप हुई थी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि एमएसीटी ने गुणक के अनुप्रयोग के लिए गलत सिद्धांत का उपयोग किया था। गुणक मृतक की उम्र के आधार पर लिया जाना चाहिए था, न कि उसके पिता की उम्र के आधार पर।

उच्च न्यायालय ने मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया:

शीर्षक——प्रदान किया गया मुआवजा:–

I) आय (न्यूनतम मजदूरी के अनुसार):रु. 6,000 प्रति माह

Ii) **(i)** के **50%** पर भविष्य की संभावनाएँ:रु. 3,000 प्रति माह

iii.) कुल आय: रु. 9,000

iv.) व्यक्तिगत खर्चों में कटौती: रु. 3,000 (यानि कुल आय का 1/3)

v.) गुणक:18 (मृतक की उम्र के अनुसार)

vi.) भविष्य की आय की हानि: रु. 12,96,000 [अर्थात. (9,000 –3,000) x 12 x 18]

vii) प्यार और स्नेह की हानि: रु. 1,00,000 (अर्थात प्रत्येक 50,000 रुपये)

viii.)अंतिम संस्कार व्यय: रु. 25,000

दिया गया कुल मुआवजा: दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 9% ब्याज के साथ रु.14,21,000 ।

यह राशि अपीलकर्ता – बीमा कंपनी और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा संयुक्त रूप से और अलग–अलग देय मानी गई थी।

5. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर बीमा कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने की प्रार्थना की वर्तमान एस.एल.पी. दायर की।

6. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

प्रमुख आधार जिन पर एस.एल.पी. बीमा कंपनी द्वारा दायर किया गया है:

I) उच्च न्यायालय ने गलती से भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% का पंचाट दे दिया है, जबकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार 'केवल 40% ही दिया जा सकता था।

II. मृतक की आय की कटौती ½ की जानी चाहिए थी, न कि 1/3 की, क्योंकि वह कुंवारा था।

iii. मृतक का न्यूनतम वेतन 5341/– रुपये लिया जाना चाहिए था, 6000/– रुपये नहीं. दुर्घटना के समय हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी की प्रचलित दर 6,000 रुपये थी।

iv. मृतक के पिता और बहन को आश्रित नहीं माना जा सकता था और वे मुआवजे के हकदार नहीं थे। किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में केवल माँ को ही आश्रित माना जा सकता है।

प्यार और स्नेह की हानि के कारण 1,00,000रुपये का अनुदान और रु. 25,000 अंत्येष्टि खर्च के लिए का भुगतान गलत है।

तर्क दिया गया कि प्रणय सेठी (सुप्रा) के फैसले के अनुसार केवल रु. 30,000 का पंचाट दिया जा सकता था।

7. मृतक के आश्रितों ने बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए आधारों का खंडन किया, और बढ़े हुए मुआवजे के लिए अपना दावा दोहराया।

8. बीमा कंपनी द्वारा चुनौती के आधारों को क्रमानुसार निपटाया जाता है।

8.1. भविष्य की संभावनाओं के मुद्दे के संबंध में, प्रणय सेठी (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि यदि मृतक स्व–रोज़गार था या एक निश्चित वेतन पर था, और 40 वर्ष से कम उम्र का था, तो स्थापित आय का 40% अतिरिक्त भविष्य की संभावनाओं के लिए दिया जाना चाहिए।

भविष्य की संभावनाओं को निम्न के आधार पर पुरस्कृत किया जाना है:

I) मृतक के रोजगार की प्रकृति; और

II) मृतक की उम्र.

वर्तमान मामले में, मृतक के परिवार का दावा है कि वह नमकीन बनाने का काम करता था, और लगभग 15,000 प्रति माह रुपये की मासिक आय अर्जित कर रहा था। हालाँकि, इसे स्थापित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। एमएसीटी के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के आधार पर मृतक की आय का आकलन किया। उसके रोजगार का स्वरूप स्व–रोज़गार व्यक्ति के रूप में लिया जा रहा है।

दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 24 वर्ष थी। इसलिए, भविष्य की संभावनाओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 50% के बजाय मृतक की वास्तविक आय का 40% दिया जाना चाहिए था।

इसलिए, इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का निर्णय उस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

8.2. मृतक की आय से कटौती के मुद्दे के संबंध में, बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि कटौती ½ होनी चाहिए थी, न कि 1/3, क्योंकि मृतक कुंवारा था।

इस मुद्दे को सरला वर्मा (उपरोक्त) के फैसले के पैराग्राफ 32 में निपटाया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह विचार किया कि जहां मृतक का परिवार बड़ा है और मृतक की आय पर निर्भर है, जैसे कि ऐसे मामले में जहां उसके पास एक विधवा माँ और बड़ी संख्या में छोटी गैर–कमाऊ बहनें या भाई हों, तो उनका व्यक्तिगत और

जीवनयापन खर्च एक-तिहाई तक सीमित किया जा सकता है, क्योंकि परिवार में योगदान दो-तिहाई माना जाएगा।

यह मानते हुए कि मृतक एक गाँव में रह रहा था, जहाँ वह अपने वृद्ध पिता, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, और प्रतिवादी संख्या 2 – एक अविवाहित बहन के साथ रहता था, उच्च न्यायालय ने उन्हें सही ढंग से मृतक का आश्रित माना, और बनाया मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती।

इसलिए, इस संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य है।

8.3. मृतक की आय के संबंध में, चूंकि परिवार यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि मृतक की आय 15,000 रुपये प्रति माह थी। जैसा कि दावा किया गया है, उच्च न्यायालय ने उनकी आय रु. 6,000 मानी, जो एक अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन रु.5,342 से थोड़ा अधिक है।

इस खोज में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है.

8.4. बीमा कंपनी ने कहा है कि मृतक के पिता और बहन को आश्रित नहीं माना जा सकता और केवल मां ही अपने बेटे पर आश्रित हो सकती है। यह विवाद निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक कुंवारा था, जिसकी मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। मृतक के पिता लगभग 65 वर्ष के थे और बहन अविवाहित थी। मृतक अपनी अल्प आय का एक हिस्सा परिवार के भरण-पोषण और अस्तित्व के लिए योगदान कर रहा था। इसलिए, वे उसके आश्रितों के रूप में मुआवजे के हकदार होंगे।

8.5. बीमा कंपनी ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से प्यार और स्नेह की हानि के लिए 1,00,000 रुपये का मुआवजा दिया था और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा दिया था।

प्रणय सेठी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले ने मृत्यु के मामले में पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे के रूप में दी जाने वाली विभिन्न राशियाँ निर्धारित की हैं। फैसले का प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे दिया गया है:

"इसलिए, हमें लगता है कि यह उचित रकम तय करने जैसा प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि पारंपरिक मदों, अर्थात् संपत्ति की हानि, कंसोर्टियम की हानि और अंतिम संस्कार व्यय पर उचित आंकड़े क्रमशः 15,000/- रुपये, 40,000/- रुपये और 15,000/-रुपये होने चाहिए। उक्त शीर्षों पर दोबारा गौर करने का सिद्धांत एक स्वीकार्य सिद्धांत है। लेकिन दोबारा गौर करना तथ्य-केंद्रित या क्वांटम-केंद्रित नहीं होना

चाहिए। हमारा मानना है कि यह उचित होगा कि हमने जो राशि निर्धारित की है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए हर तीन साल में प्रतिशत के आधार पर और तीन साल की अवधि में वृद्धि 10% की दर से होनी चाहिए।"

(जोर दिया गया)

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, अंत्येष्टि व्यय के मुआवजे के लिए 25,000 रुपये को घटाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

हालाँकि, प्यार और स्नेह की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि बरकरार रखी गई है।

8.6 एमएसीटी के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने कंसोर्टियम के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के संबंध में कोई मुआवजा नहीं दिया है, जो अन्य पारंपरिक शीर्ष हैं जिसके तहत मृत्यु की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है, जैसा कि प्रणय सेठी (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त है।

मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी एवं कल्याणकारी कानून है। न्यायालय कर्तव्यबद्ध है और "उचित मुआवजा" देने का जिम्मेदार है, भले ही दावेदार ने इस संबंध में कोई याचिका दायर की हो।

अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, और न्याय के हित में, हम प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को संपत्ति के 8 नुकसान के लिए 15,000 रुपये की राशि का पंचाट देना उचित समझते हैं।

8.7 प्रणय सेठी (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने उन विभिन्न शीर्षकों से निपटा, जिनके तहत मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाना है। इनमें से एक शीर्षक है लॉस ऑफ कंसोर्टियम।

कानूनी भाषा में, "संघ" एक सारगर्भित शब्द है जिसमें 'पति-पत्नी संघ', 'अभिभावक संघ' और 'फ़िलियल संघ' शामिल हैं।

कंसोर्टियम के अधिकार में मृतक की कंपनी, देखभाल, मदद, आराम, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जो उसके परिवार के लिए एक क्षति है। जीवनसाथी के संबंध में, इसमें मृत पति या पत्नी के साथ यौन संबंध शामिल होंगे।

स्पाउसल कंसोर्टियम को आम तौर पर पति-पत्नी के रिश्ते से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवित पति या पत्नी को "प्रत्येक वैवाहिक संबंध में कंपनी, समाज, सहयोग, स्नेह और दूसरे की सहायता" के नुकसान के लिए मुआवजे की अनुमति देता है।

माता–पिता की असामयिक मृत्यु पर, "माता–पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण" के नुकसान के लिए माता–पिता का संघ बच्चे को दिया जाता है।

फ़िलियल कंसोर्टियम किसी बच्चे की आकस्मिक मृत्यु के मामले में मुआवजे का माता–पिता का अधिकार है। एक दुर्घटना में एक बच्चे की मौत से मृतक के माता–पिता और परिवार को बहुत सदमा और पीड़ा होती है। माता–पिता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को खोना है। बच्चों को उनके प्यार, स्नेह, सहयोग और परिवार इकाई में उनकी भूमिका के लिए महत्व दिया जाता है।

कंसोर्टियम एक विशेष प्रिज्म है जो वास्तविक रिश्तों की स्थिति और मूल्य के बारे में बदलते मानदंडों को दर्शाता है। दुनिया भर में आधुनिक न्यायक्षेत्रों ने माना है कि किसी बच्चे के संघ का मूल्य एक बच्चे की मौत के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है। इसलिए अधिकांश न्यायक्षेत्र माता–पिता को बच्चे की मृत्यु पर कंसोर्टियम के नुकसान के तहत मुआवजा देने की अनुमति देते हैं। माता–पिता को दी जाने वाली राशि मृत बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साथ के नुकसान का मुआवजा है।

मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य वास्तविक दावों के मामलों में पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करना है। ऐसे मामले में जहां माता–पिता ने अपने नाबालिग बच्चे, या अविवाहित बेटे या बेटी को खो दिया है, माता–पिता फ़िलियल कंसोर्टियम के प्रमुख के तहत कंसोर्टियम के नुकसान से सम्मानित होने के हकदार हैं।

अधिनियम के तहत मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपने माता–पिता को खोने वाले बच्चों को पैरेंटल कंसोर्टियम प्रदान किया जाता है।

कुछ उच्च न्यायालयों ने इस संबंध में मुआवज़ा दिया है। हालाँकि, उन सिद्धांतों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी जिनके आधार पर फ़िलियल कंसोर्टियम के नुकसान पर मुआवजा दिया जा सकता है।

कंसोर्टियम के रूप में दिए जाने वाले मुआवजे की राशि प्रणय सेठी (उपरोक्त) में निर्धारित 'लॉस ऑफ कंसोर्टियम' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित की जाएगी।

वर्तमान मामले में, हम मृतक के पिता और बहन को फ़िलियल कंसोर्टियम के प्रत्येक नुकसान के लिए 40,000 रुपये की राशि का पंचाट देना उचित समझते हैं।

9. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 निम्नलिखित राशि के हकदार हैं: –

शीर्षक———— प्रदान किया गया मुआवजा

i. आय: रु. 6,000

ii. भविष्य की संभावनाओं: रु.2,400 (यानि आय का 40%)

iii. व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती: रु. 2,800 [अर्थात् का 1/3 (रु. 6,000+ रु. 2,400)

iv. कुल आय: रु. 5,600 [अर्थात. का 2/3 (रु. 6,000+ रु. 2,400]

v. गुणक: 18

vi. भविष्य की आय की हानि: रु. 12,09,600 (रु. 5,600 x 12 x 18)

vii. प्यार और स्नेह की हानि: रु. 1,00,000 (प्रत्येक 50,000 रुपये)

viii. अंतिम संस्कार का ख़र्च: रु. 15,000

ix. संपत्ति की हानि:रु. 15,000

x. फ़िलियल कंसोर्टियम का नुकसान: रु. 80,000 (प्रतिवादी संख्या 1 और 2 में से प्रत्येक को 40,000 रुपये देय)

दिया गया कुल मुआवज़ा: 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित रु.14,25,600. दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक।

प्रदान की गई राशि में से, प्रतिवादी नंबर 1 60% का हकदार है, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 को ऊपर निर्दिष्ट अनुसार ब्याज के साथ 40% दिया जाएगा।

10. बीमा कंपनी और प्रतिवादी नंबर 3 को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया जाता है।

अपीलकर्ता – बीमा कंपनी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को ऊपर दिए गए मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करेगी और प्रतिवादी संख्या 3 से 50% राशि की वसूली कर सकती है।

11. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील निस्तारित।

Translated By:

Rang Nath Tripathi

Advocate